# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संख्या : 295/2011

1. माधोलाल पुत्र गोविन्दलाल
2. लीलाधर पुत्र माधोलाल
3. दिनेश कुमार पुत्र माधोलाल

} जातियान ब्राहमण निवासी रायथल तहसील मांगरोल जिला बारां

....वादीगण

♠ बनाम ♠

1. कन्हैयालाल पुत्र मोतीलाल
2. मोतीलाल पुत्र गोरधन

} जातियान धाकड निवासी रायथल तहसील मांगरोल

3. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 188, 183 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट**

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादी : श्री बुद्धि प्रकाश
वकील प्रतिवादीगण : श्री दया कृष्ण धाकड
दायरा दिनांकः 19.12.2011 निर्णय दिनांक : 28.09.2018

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण के कब्जे व काश्त की आराजी वाके ग्राम रायथल के माल में खाता संख्या नया 335 पुराना 298 खसरा नं0 673 रकबा 0.50 है0 व खसरा नं0 724 रकबा 6.92 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 7.42 है0 स्थित है। उक्त आराजी में से खसरा नं0 724 रकबा 6.92 है0 आराजी ही विवादित है। प्रतिवादी नं0 1 व 2 आपस में पिता–पुत्र है, और वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं0 724 रकबा 6.92 है0 की मेढ ट्रेक्टर द्वारा तोड दी गई थी। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 03.12.2011 को दोपहर 12 बजे वादीगण की आराजी खसरा नं0 724 रकबा 6.92 है0 की मेढ तोडकर करीब 1.5 बीघा आराजी को अपने ट्रैक्टर द्वारा हांक दिया व अपनी आराजी में मिलाकर मेढ डालने पर आमादा हो गये। प्रतिवादीगण बलपूर्वक वादीगण की आराजी खसरा नं0 724 रकबा 6.92 है0 में से ढेड बीघा आराजी पर कब्जा करने की नीयत से अपनी आराजी में मिलाकर मेढ बन्दी करना चाहते है। अतः निवेदन है कि एक स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादी कम 1 व 2 के विरूद्ध इस आशय की जारी की जावें कि प्रतिवादी कम 1 व 2 वादी के कब्जे काश्त एवं खाते की आराजी खसरा नं0 724 रकबा 6.92 है0 वाके ग्राम रायथल तहसील मांगरोल में जबरन कब्जा न करें, न ही अपने प्रतिनिधि से करावें। एक डिकी बेदखली की इस आशय की प्रसारित की जावें कि प्रतिवादीगण कम 1 व 2 को वादीगण की आराजी खसरा नं0 724 रकबा 6.92 है0 की 0.24 है0 आराजी से बेदखल किया जाकर वादीगण को कब्जा संम्भलाया जावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 19.12.2011 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 02.03.2012 को

[illegible] धाकड ने वकालत नामा प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 20.07.2012 को [illegible] प्रस्तुत किया। जवाब दावा अनुसार प्रतिवादीगण को वाद पत्र की मद संख्या 1 से 12 [illegible] किया गया है एवं विशेष निवेदन किया है कि प्रतिवादीगण नं 1 व 2 द्वारा वादीगण को आज [illegible] मेढ नही तोडी है, और न ही उक्त खसरा नं0 का सीमाज्ञान प्रतिवादीगण की मौजूदगी में हुआ है। प्रतिवादीगण को वादीगन की आराजी से कभी वास्ता एवं सरोकार नही रहा है। प्रतिवादीगण नं 1 व 2 के खातेदारी खाते की आराजी खसरा नम्बर 734 रकबा 4.73 है0 वाके ग्राम रायथल के वादीगण समीपवर्ती काश्तकार है। सेटलमेंट विभाग ने प्रतिवादीगण की आराजी की पूर्व सेटलमेंट की नक्शे की आकृति को नष्ट कर मेढ सीधी कर दी थी, जबकि सेटलमेंट से पूर्व में प्रतिवादीगण की आराजी की मेढ घुमांव दार थी। जिसे प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी मांगरोल में कार्यवाही दुरूस्ती पेश कर दुरूस्त करवा लिया है, लेकिन वादीगण अपनी प्रतिष्ठा बनाने एवं प्रतिवादीगण को परेशान करने की नियत से आये दिन मेंढ को लेकर झगडे करते रहते है, प्रतिवादीगण बिना झगडे के शांतिपूर्वक सेटलमेंट से पूर्व की स्थिति अनुसार ही काबिज काश्त है, एवं काश्त कर रहा है। अतः निवेदन है कि हाल राजस्व रेकार्ड के अनुसार वाद वादीगण खारिज फरमाकर विरूद्ध वादीगण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावें कि वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं0 734 रकबा 4.73 है0 में किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना करें।

प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा के जवाब में वादीगण द्वारा दिनांक 30.05.2013 को जवाब–उल–जवाब प्रस्तुत किया। जिसके अनुसार प्रतिवादीगण के जवाब दावा में प्रस्तुत समस्त मदो को अस्वीकार किया है एवं निवेदन किया कि तहसीलदार मांगरोल के निर्देश की पालना में पटवारी हल्का रायथल द्वारा दिनांक 16.06.2011 को वादीगण की आराजी की पैमाईश की गई व पटवारी हल्का द्वारा वादीगण की आराजी की टूटी मेढ वापस करवा दी गई। निवेदन किया कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा खारिज किया जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र स्वीकार किया जाए।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन व मनन किया गया। प्रकरण के संबंध में पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो, प्रदर्शो का अवलोकन किया गया। पत्रावली में दिनांक 05.06.2017 को वादीगण के बयान व शपथ करवायी गयी। बयान मे भी वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र का समर्थन किया गया। प्रकरण के संबंध में दिनांक 28.09.2018 को बहस सुनी गयी। वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण द्वारा अपनी बहस में उन्ही तथ्यो का कथन किया गया जिनका उनके द्वारा अपने वादपत्र व जवाब दावा में अंकन किया गया है। पत्रावली में वकील वादीगण द्वारा निवेदन किया कि वादीगण की आराजी खसरा नं0 724 रकबा 6.92 है0 आराजी में प्रतिवादी क्रम 1 व 2 बदनियति रखते है एवं जबरन दखलअंदाजी करते है, अतः स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी का अवलोकन किया गया ग्राम रायथल की आराजी खसरा नं0 724 रकबा 6.92 है0 के वादीगण खातेदार कृषक है, अतः मुताबिक वाद पत्र, शपथ पत्र

[illegible] नहीं आता की डिक्री में वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है एवं प्रतिवादी कम 1 व 2 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कर आदेशित किया जाता है कि वादीगण की खाते की आराजी खसरा [illegible] वाके मौजा ग्राम उपरोक्त में वादीगण को शांतीपूर्वक काश्त करने देवे किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना तो स्वयं करे और ना ही अपने प्रतिनिधि से करावें। तहसीलदार मांगरोल को आदेशित किया जाता है कि आराजी खसरा नं0 724 रकबा 6.92 है0 से प्रतिवादीगण कम 1 व 2 को बेदखल किया जाकर वादीगण को कब्जा संभलाया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.09.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सुन